रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2004/श्रावण 7, 1926
No. 674] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2004/SRAVANA 7, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2004

का.आ. 870(अ).—यत: मोटी दमण तथा नानी दमण को जोड़ने वाला दमनगंगा पुल दिनांक 28 अगस्त, 2003 को टूट गया था जिसके परिणामस्वरूप 28 बच्चों सहित 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

और यत: केन्द्र सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के मामले, अर्थात 28 अगस्त, 2003 को मोटी दमण तथा नानी दमण को जोड़ने वाले दमनगंगा पुल के टूट जाने की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन करना आवश्यक है;

अत:, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आर. जे. कोचर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन करती है। इस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) क्या पुल के निर्माण के मूल डिजायन में कोई ऐसी अन्तर्निहित कमी थी जिसके कारण पुल टूटा;

(ii) क्या पुल का निर्माण अनुमोदित योजनाओं, डिजायनों तथा विनिर्देशों के अनुसार किया गया था;

(iii) क्या वर्ष 2001 में पुल की रिट्रोफिटिंग के रूप में की गई व्यापक मरम्मत भलीभांति की गई थी और परामर्शदाता द्वारा संस्तुत तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार थी;

(iv) क्या पुल की मरम्मत (रिट्रोफिटिंग) करके पुल के जीवन काल को बढ़ाने के लिए लिया गया निर्णय सर्वोत्तम अभियांत्रिकी प्रथाओं के अनुरूप था;

(v) क्या इस व्यापक मरम्मत के बाद दैनिक रख-रखाव कार्य समुचित एवं नियमित रूप से और तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार किए गए थे;

(vi) क्या पुल की सड़क क्षमता का समय-समय पर मूल्यांकन करने में कोई लापरवाही बरती गई थी; और

(vii) अधिकारियों की, उनकी चूक एवं त्रुटियों, यदि कोई हों, के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना।

2. आयोग अपनी रिपोर्ट अपनी प्रथम बैठक के छ: माह के भीतर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

3. आयोग का मुख्यालय दमण में स्थित होगा।

4. और यत: केन्द्र सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उप धारा (2), उप धारा (3), उप धारा (4) और उप धारा (5) के सभी उपबंध आयोग के लिए लागू किए जाने चाहिए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त सभी उपबंध आयोग के लिए लागू होंगे।

[फा.सं.यू-13034/66/2003-जी पी]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2004

S.O. 870(E).— Whereas the Damanganga Bridge connecting Moti Daman and Nani Daman collapsed on the 28th August, 2003 which led to the death of 30 persons including 28 children;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making inquiry into a matter of public importance, namely, collapse of Damanganga Bridge linking Nani Daman and Moti Daman on 28th August, 2003;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice R. J. Kochhar, a Retired Judge of High Court, Bombay, with the following terms of reference :—

(i) Whether there was any inherent defect in the original design of construction of the bridge which contributed to its collapse;

(ii) whether the original construction of the bridge was carried out in accordance with the approval plans, designs and specifications;

(iii) whether extensive repairs in the form of retrofitting of the bridge carried out in the year 2001 were undertaken properly and as per the technical specifications recommended by the Consultant;

(iv) Whether the decision taken to extend the life span of the bridge by its retrofitting was in conformity with the best engineering practices;

(v) whether after these extensive repairs, the day to day maintenance work was carried out properly, regularly and in conformity with technical requirements;

(vi) whether there was any negligence in assessing the roadworthiness of the bridge from time to time; and

(vii) fix responsibility of officials of their acts of omission and commission, if any.

2. The Commission shall submit its report to the Central Government within six months of its first sitting.

3. The Headquarters of the Commission shall be at Daman.

4. And whereas the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of Sub-section (2), Sub-section (3), Sub-section (4) and Sub-section (5) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs that all the said provision shall apply to the Commission.

[F. No. U-13034/66/2003-GP]

YASHWANT RAJ, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.